झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
एस0 ए0 संख्या–90/2011

झारखण्ड राज्य द्वारा

उपायुक्त, धनबाद .... अपीलार्थी

बनाम्

श्रीमती कामाख्या देवी .... प्रत्यर्थी

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री डी0एन0 उपाध्याय

याचिकाकर्त्ता/अपीलकर्त्ता के लिए : श्री एस0 अख्तर, एस0सी0 (खान)।
विपक्षी पार्टी/उत्तरदाता के लिए : श्री अमित कुमार तिवारी।

16.04.2014 इस अपील को एल0ए0 रेफरेन्स वाद संख्या 13/2007 के संबंध में विद्वान विशेष न्यायाधीश, भूमि अधिग्रहण, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 25.02.2010 के निर्णय और दिनांक 08.03.2010 के पंचाट के खिलाफ दाखिल किया गया है, जिसके द्वारा विशेष न्यायाधीश ने अपीलकर्त्ता को अन्य सांविधिक लाभों के साथ मुआवजा राशि 28,000/– रूपये/डिसमिल का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

2. मामले का तथ्य, संक्षेप में यह है कि खाता सं0 36, प्लॉट सं0 1463, ग्राम–अमकुरा जो निरसा पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत पड़ता है, की भूमि झारखण्ड सरकार के बिक्री कर कार्यालय के निर्माण के उद्देश्य से अधिग्रहण किया गया था और तद्नुसार, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना जारी की गई थी। प्रतिवादी का 8 डिसमिल जमीन जिसका खाता सं0 36, भूखंड सं0 1463 भी उक्त उद्देश्य के लिए अधिग्रहित किए गए थे। चूंकि अधिग्रहित भूमि के खिलाफ मुआवजे की राशि से प्रतिवादी जमीन मालिक संतुष्ट नहीं था, इसलिए विशेष न्यायाधीश, भूमि अधिग्रहण, धनबाद कोा संदर्भ दिया गया था, जिसने मामले का न्याय निर्णय करने के पश्चात यह आक्षेपित आदेश को पारित कर दिया।

3. यह निवेदन किया गया कि अधिगृहित भूमि का उचित एवं युक्तियुक्त मुआवजा का निर्णय पारित हो चुका है और प्रतिवादी को 87,542/42 रूपये का भुगतान हो चुका है, विद्वान विशेष न्यायाधीश, भू–अर्जन ने अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार नहीं किया और यह आक्षेपित आदेश मनमाने ढंग से पारित कर दिया।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस तर्क का विरोध किया और निवेदन किया है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के दावे का प्रतिवाद करने के लिए न तो कोइ दस्तावेज प्रस्तुत किया है और न

ही गवाहों का परीक्षण कराया है और विद्वान विशेष न्यायाधीश ने मुआवजा राशि को सही रूप से बढ़ाया है।

5. मैं उस आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया हूँ जिससे यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के दावे का प्रतिवाद करने के लिए न तो साक्ष्य प्रस्तुत किया है और न ही कोई दस्तावेज पेश किया है। उस स्थिति में, विद्वान विशेष न्यायाधीश के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं पेश सबूतों पर भरोसा करने के। मामले के उस दृश्य में, मुझे इस अपील में कोई गुण नही दिखी जो खारिज करने के लिए फिट है।

6. पूर्वोक्त कारणों से, इस अपील को खारिज कर दिया जाता है। अपीलकर्त्ता आज से तीन महीने के भीतर प्रतिवादी को मुआवजा राशि का भुगतान करेगा।

थ्दनांक 01.09.2012 को पारित अंतरिम आदेश को खत्म किया जाता है। चूंकि अपील को अंततः निपटाया गया है, आई0ए0 संख्या 2421/2012 का भी निपटारा किया गया।

(डी0एन0 उपाध्याय, न्याया0)